

गिताम्बर, 2009

संपरिवर्तन आदेश

धमाणा सेवा शेख द्रस्ट नई दिल्ली जरिये मैनेजिंग द्रस्टी विजेन्द्रसिंह पुत्र सुगन्धिः राजपूत निवासी इन्द्रपुरा की ग्राम इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू में स्थित सरथि आवेदन किया है। उन आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का संख्यागत प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन के लिये भू-राजस्व (ग्रामिण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन), नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विविधिया नीचे दी गई हैं—

1. आवेदक खातेदार अभिधृति का नाम, पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता	धमाणा सेवा शेख द्रस्ट नई दिल्ली जरिये मैनेजिंग द्रस्टी विजेन्द्रसिंह पुत्र सुगन्धिः राजपूत निवासी इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू नहीं
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदरय है	ग्राम इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
3. संपरिवर्तन भूमि का व्यौरा:	खसरा संख्या 194 रकमा 0.55 हेक्टेयर
(क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	खसरा रासाना 194 रकमा 0.55 हेक्टेयर में
(ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	से 5000 वर्गमीटर
(ग) प्रत्येक खसरा रासाना का भेनफल उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर में)	टिप्पणी — अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नमूने के सुसंगत भाग की सम्यकरूप से सत्यापित प्रति सालग्न है।
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन	शैक्षणिक सरथान प्रयोजनाथं
5. बालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रिमीयम की रकम	बालान संख्या 98 दिनांक 8.9.09 राशि 25,000 / रु
6. बालान की संख्या तथा तारीख सहित शारित यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शून्य
7. बालान की संख्या तथा तारीख सहित व्याज यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शून्य
8. क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है	नहीं
9. अन्य कोई विशेषिताएँ यदि कोई हो	—

- १० उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शब्दों के अध्यात्म होगा-
- (1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमिका उपयोग विहित प्रतिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किया जिन्हीं अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।
 - (2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से २ वर्ष की कालाप्रवाहि के बीच संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में गिफ्ट स्थल चला है तो अनुद्धा प्राप्ति कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रीमियम घन सम्पत्ति ही जाएगा।
 - (3) नियम-४ में यथा वर्णित भूमिका उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
 - (4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य नियम अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्रतिकारी से विहित गान्य अनुद्धा प्राप्त किया जायेगा।
 - (5) इण्डियन रोड कार्येस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सड़क के मध्य से १५ मीटर दूरी राज्य पक्ष में छोड़नी होगी।
 - (6) निकटस्थ नगरपालिका / ग्राम पंचायत की उपविधियों की पालना करनी होगी।
 - (7) राजस्व(ग्रुप-६)विभाग के परिपत्र दिनांक १७.७.२००७ की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
 - (8) राजस्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश / परिपत्र एवं दिशा-निर्देशों की पालना के लिये आवेदक बाध्य होगा।
 - (9) ४० प्रतिशत त्वान वच्चों के छेलकूद, याहन एवं पार्किंगआदि के लिएखुला छोड़ना होगा।
 - (10) यदि प्रार्थी नेशनल हाइवे से जाने के लिए रवीकृति चाहता है तो ऐसी स्थिति में नेशनल हाइवे आथोरिटी ऑफ इंडिया से और यदि राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़क ते रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।

क्रमांक प 12(3)(41) राज/09/ ५७६९-७५
प्रतिलिपि निम्न को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

१. उप छपड अधिकारी, उदयपुरवाटी।
२. तहसीलदार उदयपुरवाटी।
३. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा कठोकड़ अंडाज़न।
४. सहायक अधिकारी, साठनियुविभाग उदयपुरवाटी।
५. सरपंच ग्राम पंचायत इन्दपुरा पंचायत रामिति उदयपुरवाटी जिलानुसून्तुर।
- ✓ घमाणा सेवा शख ट्रॉट नई दिल्ली परिये मेनेजिंग ट्रॉली विवेन्द्रसिंह पुत्र सुगनरिए राजपूत निवासी इन्दपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला अंडाज़न।
६. गाँड़ पन्डिल

ED
जिला कलेक्टर मुकुम
दिनांक १ दिसम्बर २००९
मम्मूर्म

जल्दी करें।




ଶ୍ରୀ- କଣ୍ଠପୁଣ୍ଡ

ବଦ୍ରପୁଣ୍ଡ- କଣ୍ଠପୁଣ୍ଡ

କଣ୍ଠପୁଣ୍ଡ- ୩୮୧୨

(୧୦)

କଣ୍ଠପୁଣ୍ଡ- ୧୦୨୫- ୫୦୨୫



କଣ୍ଠପୁଣ୍ଡ- ୧୦୨୫

୧୦୨୫- ୩୮୧୨- ୧୨୫୬ | ୩-୩- ୦୯

କଣ୍ଠପୁଣ୍ଡ- ୧୦୨୫- ୩୮୧୨- ୧୨୫୬